मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 55

29.01.2026 को उत्तर के लिए

कैम्पा निधि के अंतर्गत उत्तराखंड को प्रदान की गई सहायता

55. श्री महेंद्र भट्टः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कैम्पा निधि के अंतर्गत उत्तराखंड को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इस धनराशि का प्रयोग किन-किन स्थानों पर किया गया है; और

(ग) क्या राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और यदि हाँ, तो उनका स्वरूप क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में, राष्ट्रीय प्राधिकरण काम्पा ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनयम, 1980 के तहत वन भूमि के विचलन के कारण उत्तराखंड राज्य को प्रतिपूरक शुल्क की वसूली के रूप में 156.52 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

(ख) और (ग) इस धनराशि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 और प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार वन्यजीव संरक्षण सहित विभिन्न प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए किया जा रहा है।

इस धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुशंसित वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) के अनुसार किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं। एपीओ को राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति (काम्पा) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का उपयोग वनों की बेहतरी के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकलापों को शुरू करने के लिए किया जाता है, जिसमें वन क्षेत्रों में सुधार और संवर्धन, वन्यजीव संरक्षण, कृत्रिम उत्थान, सहायता प्राप्त

प्राकृतिक उत्थान, वनों की सुरक्षा, वनों से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास और वन तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित अन्य सहायक कार्यकलाप शामिल हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष, 2025-26 के दौरान, उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव संरक्षण के लिए 60.81 करोड़ रुपये की राशि का परिव्यय निम्नलिखित कार्यकलापों को लागू करने के लिए किया जा रहा है:

क्र.सं.	कार्यविधि का नाम	राशि (करोड़ में)
1	एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएलएमपी) - अनिवार्य कार्य	10.00
2	वन्यजीव वन परिदृश्य पुनर्स्थापन (एफएलआर)	32.50
3	पर्यावास सुधार (आक्रामक प्रजाति प्रबंधन, जलकुण्ड, चारागाह विकास)	3.88
4	अवैध शिकार विरोधी कार्य	2.11
5	मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन	7.32
6	वन्य पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र	4.00
7	हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, उत्तरकाशी	1.00
कुल		**60.81**
